बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संकल्प

संख्या– प्र07/विविध–02–187/2018 7155(5) पटना, दिनांक – 14/9/18

विषय :–बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम–123 में संशोधन के संबंध में।

बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम–123 में वर्त्तमान प्रावधान यह है कि यही प्रक्रिया उन आरंभिक अनुमोदित प्रस्तावों के रूपान्तरण में भी लागू होगी जिनके विषय में आरंभिक प्रस्ताव से भौतिक विचलन के चलते अंततोगत्वा पुनरीक्षित आकलन समर्पित करने की आवश्यकता संभावित हो, भले ही उसकी लागत अन्य मदों में बचत करके आच्छादित कर ली जाए, उन मामलों में भी जिनमें विस्तृत आकलन, तैयार किये जाने के पश्चात्, प्रशासनिक अनुमोदन की गई राशि से 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाए या आवासीय भवनों के मामले में अनुज्ञेय लागत पर 5 प्रतिशत से अधिक का इजाफा आ जाए। इन मामलों में तथा वैसे मामलों में भी जिनमें कार्यान्वयन के दौरान ही ऐसा लगे कि प्रशासनिक अनुमोदित राशि से 10 प्रतिशत या 5 प्रतिशत का यथास्थिति, अधिक्य आ जायेगा जिसकी वजहें दरों की वृद्धि से अन्यथा होंगी, बढ़ा हुआ व्यय के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन अविलम्ब प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, और निर्माण के दौरान रूपांतरण की दशा में अनुमोदनार्थ सविस्तार अनुपूरक या पुनरीक्षित आकलन तैयार करने के लिए बिल्कुल ही इंतजार नहीं करना होगा।

इसके फलस्वरूप किसी भी योजना के मूल प्रशासनिक अनुमोदन में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी होने की स्थिति अथवा आवासीय भवनों के मामले में प्रशासनिक अनुमोदन से 5 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी होने की स्थिति में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करना पड़ता है। जिसके कारण कार्यों के क्रियान्वयन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है एवं कार्य पूर्ण होने में काफी विलम्ब होने की सम्भावना बनी रहती है।

2. उक्त के आलोक में योजनाओं के त्वरित एवं निर्बाध निष्पादन हेतु मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 20 प्रतिशत से कम अथवा 20 प्रतिशत तक की संभावित वृद्धि होने की स्थिति में पुनः प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं करनी पडे यह आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस संबंध में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्योयोजन संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका–5 को उनके संकल्प संख्या–6439 दिनांक 28.08.2018 द्वारा निम्नवत् प्रतिस्थापित किया गया है।

"किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिए पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा।" इस परिपत्र की कंडिका–7 में तत्संबंधी संशोधन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता में करने का आदेश है।

3. बिहार कार्यपालिका नियमावली के तृतीय अनुसूची के मद संख्या–35 टिप्पणी (iii) के प्रावधान के अनुसार किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि संभावित है, तो ऐसी योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन में, विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, मंत्रिपरिषद् अथवा सक्षम प्राधिकार का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4. उक्त के आलोक में बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के कंडिका–123 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिये पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा।"

आदेशः **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

14.9.18

(रत्नेश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र०–7/विविध–02–187/2018 7155(1) पटना, दिनांक – 14/9/18

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.9.18

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र०–7/विविध–02–187/2018 7155(2) पटना, दिनांक – 14/9/18

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रत्तियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

14.9.18

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र०–7/विविध–02–187/2018 7155(5) पटना, दिनांक –14/9/18

प्रतिलिपिः सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.9.18
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र०–7/विविध–02–187/2018 7155(5) पटना, दिनांक – 14/9/18

प्रतिलिपिः अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.9.18
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र०–7/विविध–02–187/2018 7155(5) पटना, दिनांक – 14/9/18

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.9.18
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र०–7/विविध–02–187/2018 7155(5) पटना, दिनांक – 14/9/18

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

15.9.18
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ABL